(8)

बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था02/02–04/2015 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः– **मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101– समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से विजनेस रजिस्ट्रर के फ्रेम लिस्ट तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹677656/–(छः लाख सतहत्तर हजार छः सौ छप्पन रूपये) का आबंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक–428/वि० दिनांक–31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या–548 दिनांक 05.03.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205–राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष–राज्य योजना, उप शीर्ष–0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष–0101.13.01 कार्यालय व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड–35-3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर निदेशानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विजनेस रजिस्ट्रर का फ्रेम लिस्ट तैयार करने वाले निबंधन प्राधिकारों को उपलब्ध कराएंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-548 दिनांक 05.03.2018 के आलोक में विजनेस रजिस्ट्रर के फ्रेम लिस्ट तैयार करने वाले निबंधन प्राधिकारों को भुगतान हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक- 34 दिनांक- 13.03.18

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक(प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना

3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

13/3

निदेशक

14/3/18

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	14-01 किराया महसूल एवं कर	28-02 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	52-02 मशिने एवं उपस्कर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशालय (मुख्यालय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	6,77,656	0	0	0	6,77,656
कुल योगः-		6,77,656	0	0	0	6,77,656

(छः लाख सतहत्तर हजार छः सौ छप्पन) रुपये मात्र।

निदेशक

अर्थ एवं सां० निदेशालय